

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14832/2024

डॉ. पंकज यादव पुत्र भगवान सहाय यादव, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी- प्लॉट नंबर 877-ए गणेश नगर मेन, निवारु रोड, झोटवाड़ा, जयपुर (राजस्थान)।

- - - - याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, अशोक नगर, जयपुर (राजस्थान)।
2. निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, चिकित्सा निदेशालय, अशोक नगर, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, इसके रजिस्ट्रार के माध्यम से, सेक्टर 18 कुंभा मार्ग, प्रताप नगर जयपुर (राजस्थान)।

- - - उत्तरदाता

संबंधित

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14640/2024

डॉ. अनुज सोनी पुत्र श्री विजय सोनी, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी शक्ति मैरिज गार्डन के पास, सवाईमाधोपुर, राजस्थान।

- - - - याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान विश्वविद्यालय स्वास्थ्य एवं विज्ञान, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान।
3. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सरकार सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

- - - - उत्तरदाता

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14833/2024

1. डॉ. लिप्सा मीना पुत्री दल सिंह, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी बंदा पुरा, सूरौठ, करौली (राजस्थान)।
2. डॉ. श्रिया सक्सैना पुत्री मनोज सक्सैना, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी 137 स्वर्ण जयंती नगर, मोहन पब्लिक स्कूल के पास, भरतपुर राजस्थान।

- - - - याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, अशोक नगर, जयपुर (राजस्थान)।
2. निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, चिकित्सा निदेशालय, अशोक नगर, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, इसके रजिस्ट्रार के माध्यम से, सेक्टर 18 कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर जयपुर (राजस्थान)।

- - - - उत्तरदाता

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14834/2024

डॉ. प्रवीण कुमार पुत्र गिराज सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम नया गणव देवलेन, जिला। करौली (राजस्थान).

- - - - याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, अशोक नगर, जयपुर (राजस्थान)।
2. निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, चिकित्सा निदेशालय, अशोक नगर, जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, इसके रजिस्ट्रार के माध्यम से, सेक्टर 18 कुंभा मार्ग, प्रताप नगर जयपुर (राजस्थान)।

- - - - उत्तरदाता

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14835/2024

डॉ. अशोक बुंदेला पुत्र सुभाष बुंदेला, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ठाकर वाला कुआ, सोमवंशी कॉलोनी, अलवर (राजस्थान)।

- - - - याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, अशोक नगर, जयपुर (राजस्थान)।

2. निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, चिकित्सा निदेशालय, अशोक नगर, जयपुर (राजस्थान)।

3. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, इसके रजिस्ट्रार के माध्यम से, सेक्टर 18 कुंभा मार्ग, प्रताप नगर जयपुर (राजस्थान)।

- - - - उत्तरदाता

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15020/2024

सुरभि शर्मा पुत्री श्री गणपत लाल शर्मा, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी 104 जी-1, मोरारी भवन, बृजपुरी, जगतपुरा, जयपुर।

- - - - याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।

3. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, जगतपुरा, जयपुर के माध्यम से

- - - - उत्तरदाता

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15331/2024

भरत बेनीवाल पुत्र उदा राम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी बेनीवालो की ढाणी, पूनियों की बेरी, परेऊ, बाडमेर, राजस्थान।

- - - - याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सेक्टर-18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान।
4. समन्वयक, चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा) भर्ती परीक्षा 2024, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सेक्टर-18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान।

- - - उत्तरदाता

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15725/2024

डॉ. नरसी लाल सीपत पुत्र मंगल राम सीपत, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी मंगला भुवाणा गणेश (एस्टी) की ढाणी, मोहन का बास, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर, राजस्थान।

- - - याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर, राजस्थान।
3. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, सेक्टर - 18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान।

- - - - उत्तरदाता

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16622/2024

डॉ. नेहा शर्मा पुत्री श्री नरेंद्र शर्मा, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी विवेकानंद कॉलोनी, देवली,
टोंक, राजस्थान।

- - - - याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान विश्वविद्यालय स्वास्थ्य एवं विज्ञान, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान।
3. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सरकार सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

- - - - उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री गीतेश जोशी
श्री कलीम अहमद खान
श्री विकास काबरा
श्री बी.बी.एल शर्मा
श्री राम प्रताप सैनी के साथ
श्री आमिर खान
श्री अक्षित गुप्ता के साथ
सुश्री प्रज्ञा सेठ
श्री नकुल बंसल
श्री आर.के. जैन

उत्तरदाता(ओं) के लिए : श्री अर्चित बोहरा, एजीसी के साथ

सुश्री लिपि गर्ग
श्री राम सिंह भाटी
श्री मोहम्मद अशफाक खान के साथ
सुश्री शमा खान
सुश्री रेखा जैन
विशेषज्ञ: डॉ. तृप्ति शर्मा राय
प्रोफेसर, आरयूएचएस कॉलेज ऑफ
डेंटल साइंसेज
डॉ. नेहा गुप्ता प्रोफेसर, आरयूएचएस
कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज
डॉ. सिरीशा सुंदरी गिरी कृष्णा प्रोफेसर
डॉ. शिखा सक्सेना प्रोफेसर
डॉ. सेतु माथुर प्रोफेसर
डॉ. सौरभ चतुर्वेदी प्रोफेसर
डॉ. मोहम्मद शारिक
डॉ. गौरव दलेला

माननीय श्री न्यायमूर्ति समीर जैन
प्रलय

समाचार-योग्य

आरक्षित तिथि: 20/11/2024

घोषित तिथि: 05/12/2024

1. रिट याचिकाओं के वर्तमान बैच में, विवाद का दायरा, हालांकि यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि मोटे तौर पर और मुख्य रूप से प्रतिवादियों द्वारा जारी दिनांक 06.08.2024 की अंतिम उत्तर कुंजी की शुद्धता और/या वैधता के बारे में उठाई गई चुनौती द्वारा परिभाषित है, जिसके

अनुसार प्रतिवादियों ने अंतिम मेरिट सूची जारी की है, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जा सकता है, केवल इस कारण से कि अंतिम मेरिट की तैयारी गलत और दोषपूर्ण उत्तर कुंजी के संदर्भ में की गई है। इसलिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिकाएं कानून के सामान्य प्रश्नों पर निर्णय का वारंट करती हैं; सभी पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की सहमति से, एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी संख्या 14832/2024 जिसका शीर्षक डॉ. पंकज यादव बनाम राजस्थान राज्य और अन्य है, को मुख्य याचिका के रूप में लिया जा रहा है। यह सावधानीपूर्वक स्पष्ट किया जाता है कि रिट याचिकाओं के वर्तमान बैच में कोई भी विसंगतियां, पूरी तरह से उनमें निहित तथ्यात्मक विवरणों से संबंधित हैं, न कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले कानून के प्रश्नों से संबंधित हैं और तत्काल निर्णय यथावश्यक परिवर्तनों के आधार पर लागू किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

2. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली सूची को शामिल करने वाला व्यापक तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि प्रतिवादी-राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (जिसे आगे आरयूएचएस कहा जाएगा) ने दिनांक 06.03.2024 की अधिसूचना द्वारा चिकित्सा अधिकारी (दंत चिकित्सा) के 172 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए और तत्पश्चात दिनांक 12.04.2024 को उक्त भर्ती हेतु एक संशोधित अधिसूचना जारी की गई और दिनांक 22.04.2024 से 21.05.2024 की अवधि के बीच आवेदन आमंत्रित किए गए। तत्पश्चात, दिनांक 31.05.2024 की एक क्रमिक अधिसूचना द्वारा, उक्त पद के लिए प्रवेश संख्या बढ़ाकर 209 कर दी गई।

3. याचिकाकर्ता उक्त पदों के लिए परीक्षा में उपस्थित हुए थे, जिसमें वस्तुनिष्ठ/बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित परीक्षा थी और प्रश्नों की संख्या 100 थी। परिणामस्वरूप, प्रतिवादियों ने 18.07.2024 को उम्मीदवारों के अवलोकनार्थ मास्टर पेपर के अनुसार मॉडल उत्तर कुंजी जारी की।

परिणामस्वरूप, प्रतिवादियों ने आधिकारिक वेबसाइट पर एक प्रेस नोट जारी कर मॉडल उत्तर कुंजी में विसंगतियों के संबंध में आपत्तियाँ आमंत्रित कीं। आपत्तियाँ प्रस्तुत करने के लिए 19.07.2024 से 20.07.2024 के बीच शाम 5 बजे तक का समय दिया गया था, और उम्मीदवारों को अपनी आपत्तियाँ पर्याप्त/विश्वसनीय अध्ययन सामग्री के साथ ऑफ़लाइन माध्यम से प्रस्तुत करनी थीं।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुतियाँ।

4. याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने तर्क दिया था कि प्रतिवादी-आरयूएचएस की कार्रवाई, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए आपत्तियों की पर्याप्त और सही ढंग से जांच नहीं करने की, स्पष्ट रूप से मनमानी, अन्यायपूर्ण और अनुचित है, जिससे याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, जैसा कि भारत के संविधान के तहत निहित है।

5. इसके अलावा, प्रतिवादियों ने आपत्तियाँ प्रस्तुत करने के लिए एक छोटी सी अवधि प्रस्तावित की थी। फिर भी, उक्त आपत्तियों को नज़रअंदाज़ करते हुए या कोई उचित औचित्य प्रस्तुत किए बिना, प्रतिवादियों ने 06.08.2024 को विवादित अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी। आगे यह भी तर्क दिया गया कि इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता अन्यथा योग्य और उक्त पद के लिए योग्य उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्यतः क्योंकि प्रतिवादी विवादित अंतिम उत्तर कुंजी के संदर्भ में मूल्यांकन के बारे में पर्याप्त सतर्क नहीं थे, इससे याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी का चयन नहीं हो सकता है या उनकी वास्तविक योग्यता प्रभावित हो सकती है।

6. इसके अलावा, विद्वान वकील ने तीन तर्क दिए थे:

6.1 मुख्यतः यह कि प्रश्नों के गलत मूल्यांकन के कारण याचिकाकर्ताओं को कुछ अंक गँवाने पड़े तथा अन्य अभ्यर्थियों को गलत तरीके से कुछ अंक प्राप्त हुए।

6.2 दूसरा, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं को अंक-पत्र जारी किए, जिनमें अपेक्षित कट-ऑफ अंक अभ्यर्थी की श्रेणी के अनुसार दिए गए हैं, तथापि, प्रश्नों की गलत अभिव्यक्ति/गणना तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर सरसरी तौर पर विचार करने के कारण, उनकी उम्मीदवारी मामूली अंतर से प्रभावित हो रही है।

6.3 तृतीय पक्ष ने कहा कि प्रतिवादियों ने प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन किया है और अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है, जिसके लिए आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए बहुत कम समय दिया गया था, बल्कि उक्त अवधि के बीच में प्रतिवादियों ने विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के लिए उचित औचित्य प्रस्तुत किए बिना, विवादित अनंतिम चयन सूची तैयार की है।

7. अपना मामला स्थापित करने के लिए याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे निम्नलिखित तर्क दिया:

7.1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, एक रिट न्यायालय विवादित उत्तर कुंजियों और प्रश्न-उत्तरों के संबंध में न्यायिक समीक्षा कर सकता है, जहाँ यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि विवादित उत्तर कुंजी स्पष्टतः और प्रमाणतः त्रुटिपूर्ण है और यदि कोई विवेकशील व्यक्ति अपनी सामान्य समझ से उन्हें गलत साबित कर सकता है, तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायिक समीक्षा निषिद्ध नहीं है। इस प्रकार, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रतिवादी-आरयूएचएस द्वारा जारी उत्तर कुंजियाँ प्रथम दृष्टया स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण और वस्तुनिष्ठ रूप से गलत हैं, याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसी उत्तर कुंजी के संबंध में न्यायिक समीक्षा आवश्यक है।

7.2 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में, विशेष रूप से ऐसे प्रतिष्ठित पदों पर, भ्रांतियों की गुंजाइश को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए तथा भर्ती प्रक्रिया में सभी चरणों में पारदर्शिता,

निष्पक्षता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय द्वारा उचित परिश्रम किया जाना चाहिए।

7.3 विवादित उत्तरों/प्रश्नों के संबंध में, याचिकाकर्ताओं ने प्रामाणिक पाठ्य पुस्तकों पर भरोसा किया, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है और इसलिए, प्रतिवादी-आरयूएचएस द्वारा जारी उत्तर कुंजी न्यायिक हस्तक्षेप का हकदार है।

7.4 कानपुर विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम समीर गुप्ता एवं अन्य, 1983 ए.आई.आर (एस.सी) 1230 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना था कि उत्तर कुंजी के अनुरूप उत्तर न देने पर, अर्थात्, गलत साबित हुए उत्तर के लिए अभ्यर्थियों को दंडित करना अनुचित होगा। अतः, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जब उत्तर कुंजी त्रुटिपूर्ण और स्पष्ट रूप से गलत है, तो अभ्यर्थियों को दंडित नहीं किया जा सकता।

7.5 उत्तर कुंजी अत्यंत सावधानी से तैयार की जानी चाहिए, मुख्यतः उन अभ्यर्थियों के हित में जो परीक्षा की तैयारी लगन से करते हैं। गलत उत्तर कुंजी के परिणामस्वरूप योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और/या निष्पक्षता का मखौल उड़ता है।

7.6 अपने करियर की दहलीज़ पर खड़े एक युवा छात्र की दुर्दशा को समझा जा सकता है, जब सही उत्तर देने के बावजूद, छात्र को बिना किसी गलती के, भारी नुकसान उठाना पड़ता है और परिणामस्वरूप, उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा, शैक्षिक मामलों में, जहाँ न्यायालय न्यायिक हस्तक्षेप करने में धीमे होते हैं, वहाँ प्रतिवादी-आरयूएचएस की ज़िम्मेदारी स्पष्ट रूप से बढ़ जाती है कि वह निष्पक्ष और उचित परीक्षा आयोजित करे, जिसमें स्पष्ट रूप से सही उत्तर हों।

8. अब तक की गई दलीलों के समर्थन में, विद्वान वकील ने कानपुर विश्वविद्यालय (सुप्रा) में दिए गए कथन के अनुसरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की एक श्रृंखला पर भरोसा किया था। जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया उनमें मनीष उज्ज्वल बनाम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय (2005) 13 एस.सी.सी 744 में रिपोर्ट किया गया, गुरु नायक देव विश्वविद्यालय बनाम सौमिल गर्ग और अन्य (2005) 13 एस.सी.सी 749 में रिपोर्ट किया गया, रिशाल और अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग और अन्य (2018) 8 एस.सी.सी 81 में रिपोर्ट किया गया, अंकित शर्मा और अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग और अन्य: एस.एल.पी संख्या 4270-4271/2022, डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 497/2022 जिसका शीर्षक आर.पी.एस.सी. व अन्य बनाम ज्ञानेन्द्र शर्मा व अन्य, डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 847/2022 जिसका शीर्षक सुमन व अन्य बनाम राजस्थान राज्य, डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 1092/2015 जिसका शीर्षक पंकज ओसवाल व अन्य बनाम आर.पी.एस.सी. व अन्य तथा राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कमलेश कुमार शर्मा व अन्य, 2014 में रिपोर्ट किया गया (1) डब्ल्यू.एल.सी. (राजस्थान) 349, अन्य के साथ।

9. उपरोक्त प्रस्तुतियों के आलोक में, यह निर्णायक रूप से तर्क दिया गया कि सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में विवादित उत्तर कुंजियाँ तैयार करके, प्रतिवादी-आरयूएचएस ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया को दूषित कर दिया है, जिसके कारण कई अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। इसलिए, प्रतिवादी-आरयूएचएस की ओर से हुई त्रुटियों के लिए याचिकाकर्ताओं को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं को स्पष्ट रूप से गलत उत्तर कुंजी के आधार पर चयन से वंचित नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्ताओं को चयन से वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 के तहत प्रदत्त उनके मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।

प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुतियाँ।

10. *इसके विपरीत*, प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा की गई दलीलों का कड़ा विरोध किया था और कहा था कि प्रशासनिक निर्णय लेने के मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है। यह तर्क दिया गया था कि न्यायालय, रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया की शुद्धता पर विचार कर सकता है, न कि स्वयं निर्णय पर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायालय विवादित उत्तर कुंजी की शुद्धता का वास्तव में पता लगाने का कार्य स्वयं नहीं कर सकता, इस साधारण कारण से कि न्यायालय विवादित विषय-वस्तु के विशेषज्ञ नहीं हैं और इसलिए, उत्तर-कुंजी की शुद्धता का पता लगाने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता नहीं रखते हैं। इसलिए, उक्त कार्य करने के लिए, न्यायालय को प्रश्नों/उत्तरों की शुद्धता और वैधता का पता लगाने का कार्य विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वे विषय-वस्तु की बारीकियों के प्रति अधिक संवेदनशील होंगे और इस प्रकार, एक सूचित तरीके से शुद्धता का निर्णय लेंगे।

11. यह भी कहा गया कि जब 100 प्रश्नों पर आपत्तियां मांगी गईं तो 61 प्रश्नों के लिए 126 अभ्यर्थियों ने शिकायत दर्ज कराई और शेष 39 प्रश्नों के लिए कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। इसके अलावा, उक्त शिकायतों के समाधान के लिए प्रतिवादी-आरयूएचएस ने अपने आदेश दिनांक 22.07.2024 (अनुलग्नक-आर/1/1) के तहत विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। साथ ही, अपने आदेश दिनांक 25.07.2024 के तहत विषय विशेषज्ञों की एक समिति भी गठित

की गई और उसके बाद प्रत्येक विवादित प्रश्न का औचित्य बताते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता ने भारतीय साक्षरता अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का हवाला देते हुए न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया कि आपत्तियों पर निर्णय लेने में विशेषज्ञों की राय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसे उच्चतर स्थान दिया जाना चाहिए और केवल अभ्यर्थी का तर्क विशेषज्ञों की राय पर हावी नहीं हो सकता; विशेषकर जब विवाद का विषय किसी विशिष्ट क्षेत्र अर्थात् दंत चिकित्सा-चिकित्सा से संबंधित हो।

12. तत्पश्चात्, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 61 प्रश्नों पर आपत्तियां प्राप्त होने पर, समिति ने गहन अध्ययन के पश्चात् पाया कि 16 प्रश्नों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है और तदनुसार उनका प्रदर्शन प्रकाशित किया गया, जिसमें कुछ प्रश्न-उत्तर विकल्प बदल दिए गए थे और यह पाया गया कि प्रश्न गलत तरीके से तैयार किया गया था और कोई भी उत्तर प्रश्न से मेल नहीं खाता था या प्रश्न स्वयं उत्तर विकल्पों से संबंधित नहीं था, ऐसे में सभी उम्मीदवारों को बोनस अंक आवंटित किए गए थे, जिससे सभी के बीच समानता बनी रही।

13. यह भी कहा गया कि परीक्षा आयोजित होने और उत्तर कुंजी प्रकाशित होने के बाद ही आपत्तियां उठाई जा सकती हैं, जिसमें उक्त परीक्षा में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को विश्वसनीय अध्ययन सामग्री को रिकार्ड में प्रस्तुत करके सभी प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में आपत्तियां उठाने का एक अवसर दिया जाता है।

14. परिणामस्वरूप, याचिकाओं के वर्तमान बैच को खारिज करने की प्रार्थना करते हुए, प्रतिवादी-आर.यू.एच.एस. के विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस कथन पर भरोसा किया, जैसा कि रण विजय सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2018) 2 एस.सी.सी 357 में रिपोर्ट किया गया, ताजवीर सिंह सोढ़ी और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य 2023/आई.एन.एस.सी/309 में रिपोर्ट किया गया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष

और अन्य के माध्यम से बनाम राहुल सिंह और अन्य (2018) 7 एस.सी.सी 254 में रिपोर्ट किया गया, विकेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (2021) 2 एस.सी.सी 309 में रिपोर्ट किया गया, बिहार कर्मचारी चयन आयोग और अन्य बनाम अरुण कुमार और अन्य। (2020) 6 एस.सी.सी 362 और कविता भार्गव बनाम रजिस्ट्रार, परीक्षा, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर: डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2253/2022, अन्य के बीच रिपोर्ट की गई।

चर्चा और निष्कर्ष

15. विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वन्द्वी तर्कों को सुना गया और उन पर विचार किया गया।

16. अभिलेख का गहनता से अवलोकन करने, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने, बार में उद्धृत निर्णयों पर विचार करने तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस समय निम्नलिखित असंदिग्ध तथ्यों को नोट करना उचित समझता है:-

16.1 यह कि याचिकाओं का वर्तमान समूह विवाद के कारण दायर किया गया है तथा यह दिनांक 06.03.2024 की भर्ती अधिसूचना से संबंधित है, जिसमें सीधी भर्ती परीक्षा द्वारा चिकित्सा अधिकारी (दंत) के 172 (बाद में संशोधित कर 209 पद तक बढ़ाए गए) पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाना था।

16.2 चिकित्सा अधिकारी (दंत) सीधी भर्ती परीक्षा, 2024 के लिए सूचना पुस्तिका के माध्यम से, प्रतिवादी-आरयूएचएस ने अपेक्षित शर्तें जारी की थीं, उदाहरण के लिए, न्यूनतम पात्रता मानदंड, पाठ्यक्रम, पुस्तकों की सूची आदि।

16.3 उक्त परीक्षा के सफल आयोजन के पश्चात, प्रतिवादी-आरयूएचएस ने दिनांक 06.08.2024 को मॉडल उत्तर कुंजी प्रकाशित की।

16.4 यद्यपि प्रतिवादी-आरयूएचएस द्वारा उक्त 100 प्रश्न-उत्तरों के लिए आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं, जिसके लिए 19.07.2024 से 20.07.2024 के मध्य सायं 05.00 बजे तक की अवधि प्रदान की गई थी तथा उक्त आपत्तियों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी।

16.5 126 अभ्यर्थियों ने 61 उत्तरों पर आपत्तियाँ उठाई थीं, फिर भी, विशेषज्ञ समिति ने गहन जाँच के बाद निष्कर्ष निकाला कि 16 प्रश्नों की व्याख्या/विचार किया जाना आवश्यक है। परिणामस्वरूप, उनके लिए उचित औचित्य/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया और या तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए (अपेक्षित स्पष्टीकरण सहित) या सभी अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्रदान किए गए।

17. रिट याचिकाओं के वर्तमान बैच के व्यापक तथ्यात्मक विवरण से, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के समक्ष विवाद/प्रस्ताव का दायरा, उक्त परीक्षा के लिए प्रकाशित दिनांक 06.08.2024 की अंतिम उत्तर कुंजी की न्यायिक समीक्षा से संबंधित है, जो चयनित याचिकाकर्ताओं/अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों के अनुसरण में है।

18. इस प्रारंभिक मोड़ पर, दिनांक 06.08.2024 की अंतिम उत्तर कुंजी के मूल्यांकन के क्षेत्र में जाने से पहले, उक्त आपत्तियों पर विचार के बाद प्राप्त उत्तरों के साथ उठाई गई आपत्तियों के संबंध में, यह न्यायालय निम्नलिखित प्रमुख कानूनी विचारों पर स्पष्टीकरण देना उचित समझता है, जो अक्सर सार्वजनिक परीक्षाओं में उत्तर कुंजियों के मूल्यांकन से संबंधित मामलों को शामिल करते हैं, अर्थात्:-

18.1 लोक सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाओं में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा का दायरा।

18.2 'असाधारण परिस्थिति': न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप कब किया जा सकता है?

18.3 'असाधारण परिस्थिति': क्या स्पष्ट और प्रमाणित रूप से गलत है?

18.4 उत्तर कुंजियों की न्यायिक समीक्षा के मामलों में न्यायालयों की सीमाएँ।

क. लोक सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाओं में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा का दायरा।

18.1.1 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से बार-बार यह माना है कि न्यायालयों को शैक्षणिक मामलों के संबंध में सही और सुविचारित/निश्चित क्या है, इस बारे में अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित करने में अत्यधिक अनिच्छुक होना चाहिए, बजाय इसके कि विवादित परीक्षाओं में शामिल वास्तविक विषयों में कौशल, प्रवीणता और विशेषज्ञता रखने वाले पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए और निकाले गए विचारों को प्राथमिकता दी जाए।

18.1.2 रण विजय सिंह (सुप्रा) और विकेश कुमार गुप्ता (सुप्रा) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है कि उत्तर कुंजियों के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति न्यायालयों द्वारा दी जा सकती है, जो पूरी तरह से संबंधित परीक्षा के प्रशासन के लिए बनाए गए नियमों के अधीन होगा। किसी भी स्थिति में, विषय-वस्तु विशेषज्ञों द्वारा तैयार उत्तर-कुंजी के न्यायालय के पुनर्मूल्यांकन की प्रथा बार-बार घृणित होती है, मुख्य रूप से न्यायालयों के पास शैक्षणिक मामलों में अपेक्षित ज्ञान/विशेषज्ञता न होने के कम करने वाले तथ्य को देखते हुए, जिसकी बारीकियों को केवल विषय-वस्तु विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं जिन्होंने विषयों का अध्ययन करने और अपने संबंधित अध्ययन क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करने में काफी समय लगाया है। उत्तर कुंजी

का मूल्यांकन करने के लिए कोई भी व्यक्ति उस विशेषज्ञ से अधिक उपयुक्त नहीं होगा, जो प्रश्न पत्र के ढांचे और संदर्भ/उद्देश्य को व्यापक रूप से समझता है

18.1.3 न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत कम है, क्योंकि न्यायालय का हस्तक्षेप केवल उन विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के बाद ही अनुमेय है जिन्होंने अपने शैक्षणिक क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान अर्जित किया है। फिर भी, न्यायालय, विशुद्ध रूप से अपनी इच्छा और ज्ञान के आधार पर, किसी उत्तर-कुंजी की शुद्धता का निर्धारण/सुनिश्चित नहीं कर सकते।

ख. ‘असाधारण परिस्थिति’: न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप कब किया जा सकता है?

18.2.1 एकमात्र अपवाद, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए विवादित उत्तर कुंजी में न्यायालय के हस्तक्षेप की अनुमति देता है, वह उस स्थिति से संबंधित है जब विवादित उत्तर कुंजी/प्रश्न-उत्तर 'स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से गलत' प्रतीत होते हैं।

18.2.2 माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कथन, जैसा कि **रण विजय सिंह (सुप्रा)** में प्रतिपादित किया गया है, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

30. इसलिए, इस विषय पर कानून बिल्कुल स्पष्ट है और हम केवल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर प्रकाश डालना चाहते हैं। वे हैं:

30.1. यदि किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई कानून, नियम या विनियमन उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या उत्तर पुस्तिका की जांच को अधिकार के रूप में अनुमति देता है, तो परीक्षा आयोजित करने वाला प्राधिकारी इसकी अनुमति दे सकता है;

30.2. यदि किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई कानून, नियम या विनियमन उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति नहीं देता है (इसे प्रतिबंधित करने से अलग) तो न्यायालय

पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति केवल तभी दे सकता है जब यह बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, बिना किसी "तर्क की अनुमानित प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया" के और केवल दुर्लभ या असाधारण मामलों में कि कोई भौतिक त्रुटि हुई है;

30.3. न्यायालय को किसी अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन या जांच नहीं करनी चाहिए - इस मामले में न्यायालय की कोई विशेषज्ञता नहीं है और शैक्षणिक मामलों को शैक्षणिक विशेषज्ञों पर ही छोड़ देना बेहतर है;

30.4. न्यायालय को मुख्य उत्तरों की सत्यता मानकर उसी धारणा के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए; और 30.5. संदेह की स्थिति में, लाभ अभ्यर्थी के बजाय परीक्षा प्राधिकारी को मिलना चाहिए।

31. हम अपनी ओर से यह जोड़ना चाहेंगे कि उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश देने या न देने के मामले में सहानुभूति या करुणा की कोई भूमिका नहीं होती। यदि परीक्षा प्राधिकारी द्वारा कोई त्रुटि की जाती है, तो इसका खामियाजा पूरे परीक्षार्थी को भुगतना पड़ता है। पूरी परीक्षा प्रक्रिया को केवल इसलिए बाधित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कुछ परीक्षार्थी निराश या असंतुष्ट हैं या उन्हें लगता है कि किसी त्रुटिपूर्ण प्रश्न या त्रुटिपूर्ण उत्तर के कारण उनके साथ कोई अन्याय हुआ है। सभी परीक्षार्थी समान रूप से पीड़ित होते हैं, हालाँकि कुछ को अधिक कष्ट हो सकता है, लेकिन इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती क्योंकि गणितीय परिशुद्धता हमेशा संभव नहीं होती। इस न्यायालय ने गतिरोध से निकलने का एक रास्ता दिखाया है - संदिग्ध या आपत्तिजनक प्रश्न को बाहर कर दें।

32. यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस न्यायालय के कई निर्णयों, जिनमें से कुछ की चर्चा ऊपर की जा चुकी है, के बावजूद, न्यायालयों द्वारा परीक्षा परिणामों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। इससे परीक्षा प्राधिकारी एक अप्रिय स्थिति में आ जाते हैं जहाँ वे जाँच के दायरे में

होते हैं, न कि अभ्यर्थी। इसके अतिरिक्त, एक विशाल और कभी-कभी लंबी परीक्षा प्रक्रिया अनिश्चितता के वातावरण में समाप्त होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी में अथक परिश्रम करते हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि परीक्षा प्राधिकारी भी परीक्षा के सफल संचालन के लिए उतनी ही कड़ी मेहनत करते हैं। कार्य की विशालता बाद में कुछ चूक प्रकट कर सकती है, लेकिन न्यायालय को परीक्षा में सफलतापूर्वक भाग लेने वाले अभ्यर्थियों और परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों में हस्तक्षेप करने से पहले परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा स्थापित आंतरिक जाँच और संतुलन पर विचार करना चाहिए। वर्तमान अपीलें ऐसे हस्तक्षेप के परिणामों का एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं जहाँ आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी परीक्षा परिणाम अंतिम नहीं हो पाया है। परीक्षा अधिकारियों के अलावा, अभ्यर्थी भी परीक्षा परिणाम की अनिश्चितता को लेकर असमंजस में रहते हैं—वे उत्तीर्ण हुए हैं या नहीं; उनके परिणाम को न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा या अस्वीकृत; उन्हें कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलेगा या नहीं; और उनकी भर्ती होगी या नहीं। यह असंतोषजनक स्थिति किसी के लिए भी हितकर नहीं है और ऐसी अनिश्चितता की स्थिति भ्रम को और भी बदतर बना देती है। इसका समग्र और व्यापक प्रभाव यह होता है कि जनहित को नुकसान पहुँचता है।”

18.2.3 इसी प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **विकेश कुमार गुप्ता (सुप्रा)** मामले में निम्नानुसार निर्णय दिया:-

“11. यद्यपि यदि नियम अनुमति देते हैं तो पुनर्मूल्यांकन का निर्देश दिया जा सकता है, इस न्यायालय ने उन न्यायालयों द्वारा प्रश्नों के पुनर्मूल्यांकन और जांच की प्रथा की निंदा की है, जिनमें शैक्षणिक मामलों में विशेषज्ञता का अभाव है। उच्च न्यायालय को स्वयं प्रश्नपत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं

की जांच करने की अनुमति नहीं है, खासकर जब आयोग ने उम्मीदवारों की पारस्परिक योग्यता का आकलन किया हो (हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर एवं अन्य: (2010) 6 एससीसी 759)। न्यायालयों को विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के प्रति सम्मान और विचार दिखाना होगा, जिनके पास मूल्यांकन करने और सिफारिशें करने की विशेषज्ञता है [देखें- बसवैया (डॉ.) बनाम डॉ. एच.एल. रमेश एवं अन्य: (2010) 8 एससीसी 372)।

12. इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि के आलोक में, खंडपीठ के लिए प्रश्नों और उत्तर कुंजी की सत्यता की जाँच करके विशेषज्ञ समिति द्वारा दिनांक 12.03.2019 को दिए गए निर्णय से भिन्न निष्कर्ष पर पहुँचना संभव नहीं था। अपीलकर्ताओं ने रिचल एवं अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य (2018) 8 एससीसी 81 का हवाला दिया। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने विशेषज्ञ समिति की राय प्राप्त करने के बाद ही चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया, परन्तु स्वयं प्रश्नों और उत्तरों की सत्यता पर विचार नहीं किया। अतः, उक्त निर्णय इस मामले में विवाद के निपटारे के लिए प्रासंगिक नहीं है।

13. उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि न्यायालयों को शैक्षणिक मामलों में विशेषज्ञ की राय में हस्तक्षेप करने में बहुत धीमी गति से काम करना चाहिए। किसी भी स्थिति में, सही उत्तरों तक पहुँचने के लिए न्यायालयों द्वारा स्वयं प्रश्नों का मूल्यांकन स्वीकार्य नहीं है। सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों को अंतिम रूप देने में देरी मुख्यतः न्यायालयों में चयनों को चुनौती देने वाले मामलों के लंबे समय तक लंबित रहने के कारण होती है। नियुक्तियों में देरी का व्यापक प्रभाव अस्थायी आधार पर नियुक्त लोगों की नियुक्ति और उनके नियमितीकरण के दावों पर पड़ता है। सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों में देरी का एक अन्य

परिणाम पर्याप्त कर्मियों की कमी के कारण प्रशासन को होने वाला गंभीर नुकसान है।”

18.2.4 अतः, पूर्वोक्त टिप्पणियों के आलोक में, एकमात्र अपवाद जिसके तहत न्यायालय विवादित प्रश्न-उत्तरों में छूट दे सकता है, वह तब है जब वे 'स्पष्टतः और प्रमाणित रूप से गलत' प्रतीत होते हैं।

ग. 'असाधारण परिस्थिति': क्या स्पष्टतः और प्रमाणित रूप से गलत है?

18.3.1 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानपुर विश्वविद्यालय (सुप्रा) के उल्लेखनीय निर्णय में, निम्नलिखित निर्णय देते हुए स्पष्ट रूप से और प्रमाणित रूप से गलत क्या है, इसकी व्याख्या की है:-

“15. उच्च न्यायालय के निष्कर्ष छात्र समुदाय के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। सामान्यतः, कोई भी व्यक्ति, विशेष रूप से यदि वह प्रश्नपत्र तैयार करने वाला और परीक्षक रहा हो, यह विचार रखेगा कि प्रश्नपत्र तैयार करने वाले द्वारा प्रस्तुत और विश्वविद्यालय द्वारा सही माने गए मुख्य उत्तर को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। इसे प्राप्त करने का एक तरीका यह है कि मुख्य उत्तर को प्रकाशित ही न किया जाए। यदि विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम के साथ मुख्य उत्तर प्रकाशित नहीं किया होता, तो इस मामले में कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता। लेकिन यह उन मामलों को देखने का सही तरीका नहीं है, जिनसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक सैकड़ों छात्रों का भविष्य जुड़ा है। यदि इस मामले में मुख्य उत्तर को गुप्त रखा जाता, तो उपचार बीमारी से भी बदतर

होता, क्योंकि इतने सारे छात्रों को चुपचाप अन्याय सहना पड़ता। मुख्य उत्तर के प्रकाशन ने एक सुखद स्थिति को उजागर किया है जिसका समाधान विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को अवश्य निकालना चाहिए। मुख्य उत्तर प्रकाशित करने में उनकी निष्पक्षता ने उन्हें अपनी परीक्षा प्रणाली को और करीब से देखने का अवसर दिया है। क्या विफल रहा है? यह कंप्यूटर नहीं बल्कि मानव प्रणाली है।

16. विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित श्री कक्कड़ ने तर्क दिया कि किसी भी मुख्य उत्तर की सत्यता को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि वह प्रथमदृष्टया गलत न हो। हम इस बात से सहमत हैं कि मुख्य उत्तर को तब तक सही माना जाना चाहिए जब तक कि वह गलत साबित न हो जाए और इसे तर्क की किसी अनुमानात्मक प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया द्वारा गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होना चाहिए कि यह गलत है, अर्थात्, यह ऐसा होना चाहिए कि उस विशेष विषय में पारंगत कोई भी विवेकशील व्यक्ति इसे सही न माने। इस मामले में विश्वविद्यालय का तर्क बड़ी संख्या में स्वीकृत पाठ्यपुस्तकों द्वारा गलत सिद्ध होता है, जिन्हें उत्तर प्रदेश में छात्र आमतौर पर पढ़ते हैं। ये पाठ्यपुस्तकें इस बात में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती कि छात्रों द्वारा दिया गया उत्तर सही है और मुख्य उत्तर गलत है।”

18.3.2 कानपुर विश्वविद्यालय (सुप्रा) में निर्धारित परीक्षण पर और विस्तार से प्रकाश डालते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग एवं अन्य बनाम अब्दुल हलीम (2019) 18 एससीसी 39 में यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण निर्धारित

किया कि क्या उत्तर-कुंजी स्पष्ट रूप से और प्रमाणिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“8. न्यायिक पुनरावलोकन की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय को यह देखना है कि क्या आक्षेपित निर्णय किसी स्पष्ट विधि त्रुटि से दूषित है। यह निर्धारित करने का परीक्षण कि क्या कोई निर्णय अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि से दूषित है, यह है कि क्या त्रुटि अभिलेख पर स्पष्ट है या त्रुटि को स्थापित करने के लिए परीक्षण या तर्क की आवश्यकता है। यदि किसी त्रुटि को तर्क की प्रक्रिया द्वारा, उन बिंदुओं पर स्थापित किया जाना है जहाँ उचित रूप से दो मत हो सकते हैं, तो उसे अभिलेख पर त्रुटि नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इस न्यायालय ने सत्यनारायण बनाम मल्लिकार्जुन में कहा है। यदि किसी वैधानिक नियम का प्रावधान उचित रूप से दो या अधिक निर्माणों के लिए सक्षम है और एक निर्माण को अपनाया गया है, तो निर्णय रिट न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए खुला नहीं होगा। यह केवल एक प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान की स्पष्ट गलत व्याख्या, या उसकी अज्ञानता या अवहेलना, या ऐसे कारणों पर आधारित निर्णय है जो स्पष्ट रूप से विधि में गलत हैं, जिसे रिट न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी करके ठीक किया जा सकता है।

9. अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्ति का दायरा इतना व्यापक हो सकता है कि अनुचित आदेशों को रद्द किया जा सके। यदि कोई निर्णय इतना मनमाना और मनमानीपूर्ण है कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति उस पर कभी नहीं पहुँच सकता, तो उसे रिट न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है। यदि निर्णय को अभिलेख में उपलब्ध सामग्री द्वारा तर्कसंगत रूप से समर्थित नहीं किया जा सकता है, तो उसे विकृत माना जा सकता है।

18.3.3 इसलिए, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि किसी विवादित प्रश्न-उत्तर को केवल तभी स्पष्ट और प्रमाणित रूप से गलत माना जाएगा, जब यह दर्शाया गया हो कि उक्त त्रुटि को पकड़ने और/या उसमें निहित भ्रांति को पहचानने के लिए, किसी तर्क-वितर्क की प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बल्कि, त्रुटि इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि वह एक विचारपूर्ण विश्लेषण के बजाय, केवल एक झलक से ही पहचानी जा सके। इसी प्रकार, जब किसी उत्तर की दो समान रूप से सार्थक व्याख्याएँ संभव हों, तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तर प्रमाणित रूप से गलत है।

घ. उत्तर कुंजियों की न्यायिक समीक्षा के मामलों में न्यायालयों की सीमाएँ।

18.4.1 न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करने वाला न्यायालय केवल विचाराधीन प्रक्रिया की, चाहे वह प्रशासनिक हो या वैधानिक, जाँच करता है, लेकिन उसका परिणाम अनिवार्य रूप से सार्वजनिक होता है, यह देखने के लिए कि क्या वह निष्पक्ष और नियमित तरीके से, अवैधता से मुक्त, द्वेष या दुर्भावना से प्रेरित नहीं है, या उसका निष्कर्ष इतना स्पष्ट रूप से अनुचित नहीं है कि उस स्थिति में कोई भी विवेकशील व्यक्ति ऐसे निष्कर्ष पर न पहुँचे। इस संबंध में, इस न्यायालय के उस कथन पर भरोसा किया जा सकता है जैसा कि **एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4777/2021**, जिसका शीर्षक **सुरजन लाल धवन एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य** है, में प्रतिपादित किया गया है।

18.4.2 अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के दायरे के संबंध में स्थापित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को याचिकाओं के वर्तमान बैच में हस्तक्षेप करने के लिए यह आकलन करने की आवश्यकता है कि विवादित प्रश्नों के लिए आरोपित मॉडल उत्तर कुंजी स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से गलत/गलत है या नहीं।

19. इसके अलावा, यह भी ध्यान दिया जाता है कि उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम एम.ओ.डी.डी.आर.ई, 2024 के लिए सूचना पुस्तिका के माध्यम से परीक्षा की तारीख से बहुत पहले जारी किया गया था। उसी के अवलोकन से यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रतिवादी-आरयूएचएस ने सर्वसम्मति से और स्पष्ट रूप से नोट किया है कि उक्त पद के लिए उक्त परीक्षा के पाठ्यक्रम में डीसीआई द्वारा निर्धारित चार साल के पाठ्यक्रम के दौरान बीडीएस स्नातक द्वारा अध्ययन किए गए सभी विषय शामिल होंगे। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि बीडीएस कार्यक्रम में नामांकित छात्र जिस पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है, उसमें न केवल डीसीआई द्वारा अनुमोदित पुस्तकें शामिल होती हैं, बल्कि कई सम्मेलन, सेमिनार और पेपर प्रकाशन भी शामिल होते हैं, जिन्हें छात्र तैयार करते हैं, इसलिए, सभी अध्ययन सामग्री के नवीनतम और अद्यतन संस्करण ही विवादित प्रश्नों के उत्तर निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकल्प हो सकते हैं। संक्षिप्तता के लिए, उक्त सूचना पुस्तिका और दिनांक 25.08.2011 की अधिसूचना के तहत निर्धारित पाठ्यक्रम नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"पाठ्यक्रम:

उक्त परीक्षा के पाठ्यक्रम में डीसीआई द्वारा निर्धारित चार वर्षीय पाठ्यक्रम के दौरान बीडीएस स्नातक द्वारा अध्ययन किए जाने वाले सभी विषय शामिल हैं।

अनुशंसित पुस्तकें:

1. मानव शरीर रचना विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, ऊतक विज्ञान और चिकित्सा आनुवंशिकी

1. स्नेल (रिचर्ड एस.) मेडिकल छात्रों के लिए क्लिनिकल एनाटॉमी, एड. 5 लिटिल ब्राउन एंड कंपनी, बोस्टन।

2. आरजे लास्ट की एनाटॉमी- मैकमिन, 9 वां संस्करण।

3. रोमेनस (जी.जे.) कनिंघम मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल एनाटॉमी: हेड एंड नेक एंड ब्रेन एड.

15. खंड III ऑक्सफोर्ड मेडिकल प्रकाशन।

4. व्हेदर, बर्किट और डेनियल्स, फंक्शनल हिस्टोलॉजी, संस्करण 2, चर्चिल लिविंगस्टोन।

5. सैंडलर, लैंगमैन, मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी, संस्करण 6.

6. जेम्स ई एंडरसन, ग्रांट्स एटलस ऑफ एनाटॉमी, विलियम्स एंड विल्किंस।

7. विलियम्स, ग्रेज एनाटॉमी, संस्करण 38., चर्चिल लिविंगस्टोन।

8. ई.एम.ई.आर.वाई, मेडिकल जेनेटिक्स.

2. शरीर क्रिया विज्ञान

1. गायटन; फिजियोलॉजी की पाठ्यपुस्तक, 9 वां संस्करण।

2. गानॉन्ग; मेडिकल फिजियोलॉजी की समीक्षा, 19 वां संस्करण

3. वेंडर; मानव शरीरक्रिया विज्ञान, 5 वां संस्करण

4. चौधरी; संक्षिप्त चिकित्सा फिजियोलॉजी, द्वितीय संस्करण

5. चटर्जी; मानव शरीरक्रिया विज्ञान, 10 वां संस्करण

6. ए.के. जैन; बी.डी.एस. छात्रों के लिए मानव शरीरक्रिया विज्ञान, प्रथम संस्करण

7. बर्न और लेवे; फिजियोलॉजी, दूसरा संस्करण

8. वेस्ट-बेस्ट एंड टेलर, चिकित्सा पद्धति का शारीरिक आधार, 11 वां संस्करण

प्रायोगिक शरीरक्रिया विज्ञान:

1. रैनाडे; प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी, चौथा संस्करण

2. घई; व्यावहारिक शरीरक्रिया विज्ञान की एक पाठ्यपुस्तक

3. हचिसन; क्लिनिकल मेथड्स, 20 वां संस्करण

3. जैव रसायन

1. बायोकेमिस्ट्री की संक्षिप्त पाठ्यपुस्तक (तृतीय संस्करण) 2001, टी.एन. पट्टाभिरामन

2. न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री 1995, एस. रामकृष्णन और एस.वी. राव

3. लेक्चर नोट्स इन बायोकेमिस्ट्री 1984, जे.के. कैंडलिश

संदर्भ पुस्तक

1. नैदानिक सहसंबंधों के साथ जैव रसायन की पाठ्यपुस्तक 1997, टी.एन. डेवलिन
2. हार्पर बायोकेमिस्ट्री, 1996, आर.के. मरे एट अल
बेसिक एंड एप्लाइड डेंटल बायोकेमिस्ट्री, 1979, आर.ए.डी. विलियम्स और जे.सी. इलियट

4. दंत शरीर रचना विज्ञान, भ्रूण विज्ञान और मौखिक ऊतक विज्ञान

1. ऑर्बन की ओरल हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी- एस.एन. भास्कर
2. मौखिक विकास और ऊतक विज्ञान- जेम्स और एवरी
3. व्हीलर डेंटल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और ऑक्लूजन- मेजर एम. ऐश
4. दंत शरीर रचना विज्ञान - दंत चिकित्सा से इसकी प्रासंगिकता - वोएलफेल और स्कीड
5. मुंह का अनुप्रयुक्त फिजियोलॉजी - लावेल
6. मुंह की फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री - जेनकिंस

5. सामान्य पैथोलॉजी

1. रॉबिन्स - रोग का पैथोलॉजिक आधार कोट्रान, कुमार, रॉबिन्स
2. एंडरसन पैथोलॉजी खंड 1 और 2 संपादक - इवान डैमजानोव और जेम्स लिंडर
3. विंट्रोब के क्लिनिकल हेमेटोलॉग ली, बिथेल, फॉर्स्टर, एथेंस, ल्यूकेन्स

6. सूक्ष्म जीव विज्ञान

1. माइक्रोबायोलॉजी की पाठ्य पुस्तक - आर. अनंतनारायण और सी.के. -जयराम पणिकर
2. मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी - डेविड ग्रीनवुड एट अल.
3. माइक्रोबायोलॉजी - प्रेस्कॉट, एट अल.
4. माइक्रोबायोलॉजी - बर्नार्ड डी.डेविस, एट अल.
5. क्लिनिकल और रोगजनक माइक्रोबायोलॉजी - बारबरा जे हॉवर्ड, एट अल।
6. माइक्रोबियल रोगों के तंत्र - मोसेलियो शेचटर, एट अल.
7. इम्यूनोलॉजी एक परिचय - टिज़ार्ड

8. इम्यूनोलॉजी तीसरा संस्करण - इवान रोइल्ट, एट अल.

7. दंत सामग्री

1. फिलिप्स साइंस ऑफ डेंटल मैटेरियल्स- 10 वां संस्करण- केनेथ जे. अनुसाविस
2. रिस्टोरेटिव डेंटल मैटेरियल्स- 10 संस्करण, रॉबर्ट जी. क्रेग
3. दंत सामग्री पर नोट्स- ई.सी. कॉम्बे
4. तैयारी: स्नातक छात्रों के लिए मैनुअल - डॉ. एम.सी. मोदी और डॉ. संजय गौड़ा बी. पाटिल

8. सामान्य और दंत औषध विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान

1. आर.एस. सातोस्कर, काले भंडारकर की फार्माकोलॉजी और फार्माकोलहेरपेन्टिक्स, 10 वां संस्करण, बॉम्बे पॉपुलर प्रकाशन 1991।
2. बर्टम जी काट्जुंग, बेसिक एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, छठी सीडी. एपलटन एंड लैंग 1997
3. लॉरेंस डी.आर. क्लिनिकल फार्माकोलॉजी 8 वां संस्करण. चर्चिल लिविंगस्टोन 1997
4. सातोस्कर आर.एस. और भंडारकर एस.डी., फार्माकोलॉजी और फार्माकोथेरेप्यूटिक्स भाग I और भाग II, 13 वां लोकप्रिय प्रकाशन बॉम्बे 1993
5. त्रिपाठी के.डी. एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी, चौथा संस्करण, जेपी ब्रदर्स 1999.

9. सामान्य चिकित्सा

डेविडसन की चिकित्सा पाठ्यपुस्तक

हचिंसन की चिकित्सा पाठ्यपुस्तक

10. सामान्य शल्य चिकित्सा

सर्जरी बेली और लव का संक्षिप्त अभ्यास

11. ओरल पैथोलॉजी और ओरल माइक्रोबायोलॉजी

1. ओरल पैथोलॉजी की एक पाठ्य पुस्तक शेफर, हाइन और लेवी
2. ओरल पैथोलॉजी - क्लिनिकल पैथोलॉजिक सहसंबंध रेगेजी और स्किउब्बा।
3. ओरल पैथोलॉजी सोम्स एंड साउथम

4. उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ओरल पैथोलॉजी प्रभु, विल्सन, जॉनसन और दफ्तरी

12. सार्वजनिक स्वास्थ्य दंत चिकित्सा

1. दंत चिकित्सा दंत चिकित्सा अभ्यास और समुदाय डेविड एफ. स्ट्रिफ्लर और ब्रेन ए. बर्ट द्वारा, संस्करण - 1983. डब्ल्यू.बी. सॉन्डर्स कंपनी
2. जेम्स मोर्स डनिंग द्वारा डेंटल पब्लिक हेल्थ के सिद्धांत, चतुर्थ संस्करण, 1986, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
3. डेंटल पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी डेंटिस्ट्री, एंथनी जॉंग द्वारा संपादित, सी.वी. मोस्बी कंपनी द्वारा प्रकाशन, 1981
4. सामुदायिक मौखिक स्वास्थ्य-एक प्रणाली दृष्टिकोण, पेट्रीसिया पी. कॉर्मलर और जॉय आई. लेवी द्वारा, एपलटन-सेंचुरी-क्रॉफिस/न्यूयॉर्क द्वारा प्रकाशित, 1981
5. सामुदायिक दंत चिकित्सा - पी.सी. डेंटल हैंड बुक द्वारा एक समस्या उन्मुख दृष्टिकोण, श्रृंखला खंड 8 स्टीफन एल. सिल्वरमैन और एम्स एफ. ट्रायोन द्वारा, श्रृंखला संपादक-एल्विन एफ. गार्डनर, पीएससी प्रकाशन कंपनी इंक. लिटलटन मैसाचुसेट्स, 1980.
6. डेंटल पब्लिक हेल्थ - कम्युनिटी डेंटिस्ट्री का परिचय। जेफ्री एल. स्लैक और ब्रेन बर्ट द्वारा संस्करण, जॉन राइट एंड संस ब्रिस्टल द्वारा प्रकाशित, 1980
7. मौखिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण- मूल विधियाँ, चौथा संस्करण, 1997, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा द्वारा प्रकाशित, क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में उपलब्ध।
8. प्रिवेंटिव मेडिसिन और हाइजीन-मैक्समी और रोसेनौ द्वारा, एप्लटन सेंचुरी क्रॉफ्ट्स द्वारा प्रकाशित, 1986।
9. प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री - जे.ओ. फॉरेस्ट द्वारा लिखित, जॉन राइट एंड संस ब्रिस्टली द्वारा प्रकाशित। 1980।
10. निवारक दंत चिकित्सा, मरे द्वारा, 1997.
11. पार्क और पार्क द्वारा निवारक और सामाजिक चिकित्सा की पाठ्य पुस्तक, 14 वां संस्करण।
12. डॉ. सोबेन पीटर द्वारा सामुदायिक दंत चिकित्सा।
13. बी.के.महाजन द्वारा जैव-सांख्यिकी का परिचय

14. ग्रेवाल द्वारा सांख्यिकीय विधियों का परिचय

13. बाल चिकित्सा और निवारक दंत चिकित्सा

1. बाल चिकित्सा दंत चिकित्सा (शैशवावस्था से किशोरावस्था तक) पिंगहम।
2. फ्लोराइड्स का नैदानिक उपयोग-स्टीफन एच.वेई.
3. दंत क्षय की समझ-निकी फोरुक।
4. हैंडबुक ऑफ क्लिनिकल पेडोडोंटिक्स-केनेथ डी.
5. बाल एवं किशोर के लिए दंत चिकित्सा- मैकडोनाल्ड।
6. बाल चिकित्सा दंत चिकित्सा- दामले एस.जी.
7. व्यवहार प्रबंधन-राइट
8. दर्दनाक चोटें-एंडरीज़न
9. पेडोडोंटिक्स की पाठ्यपुस्तक- डॉ. शोभा टंडन

14. ओरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी

क) मौखिक निदान, मौखिक चिकित्सा और मौखिक विकृति विज्ञान

1. बर्किट - ओरल मेडिसिन - जे.बी. लिपिनकॉट कंपनी
2. कोलमैन- मौखिक निदान के सिद्धांत - मोस्बी ईयर बुक
3. जोन्स - प्रणालीगत रोगों की मौखिक अभिव्यक्तियाँ - डब्ल्यू.बी. सॉन्डर्स कंपनी
4. मिशेल - ओरल डायग्नोसिस और ओरल मेडिसिन
5. केर - ओरल डायग्नोसिस
6. मिलर - ओरल डायग्नोसिस और उपचार
7. हचिंसन - नैदानिक विधियाँ
8. ओरल पैथोलॉजी - शेफर्स
9. सोनिस एस.टी., फाज़ियो.आर.सी. और फेंग.एल - ओरल मेडिसिन के सिद्धांत और अभ्यास

b) ओरल रेडियोलॉजी

1. व्हाइट एंड गोअज़ - ओरल रेडियोलॉजी - मोस्बी ईयर बुक
2. वेहरमैन - डेंटल रेडियोलॉजी - सी.वी. मोस्बी कंपनी

3. स्टैफ़ने - ओरल रोएंटजेनोग्राफ़िक डायग्नोसिस - डब्ल्यू.बी. सॉन्डर्स कंपनी, c) फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी
1. डेरेक एच. क्लार्क - प्रैक्टिकल फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी- बटरवर्थ - हेनीमैन (1992)
2. सी माइकल बॉवर्स, गैरी बेल - मैनुअल ऑफ़ फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी - फोरेंसिक पीआर (1995)

15. ऑर्थोडॉन्टिक्स और डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स

1. समकालीन ऑर्थोडॉन्टिक्स विलियम आर. प्रॉफिट
2. डेंटल स्टूडेंट्स के लिए ऑर्थोडॉन्टिक्स व्हाइट एंड गार्डिनर
3. ऑर्थोडॉन्टिक्स मोयर्स की हैंडबुक
4. ऑर्थोडॉन्टिक्स-सिद्धांत और अभ्यास ग्रैबर
5. हटाने योग्य ऑर्थोडॉन्टिक उपकरणों का डिज़ाइन, निर्माण और उपयोग सी. फिलिप एडम्स
6. क्लिनिकल ऑर्थोडॉन्टिक्स: खंड 1 और 2 साल्ज़मैन

16. ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी

1. फंसे हुए दांत; एलिंग जॉन एफ व अन्य।
2. मौखिक और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के सिद्धांत: खंड 1, 2 और 3 पीटरसन एलजे व अन्य।
3. दंत चिकित्सा कार्यालय में चिकित्सा आपात स्थिति की पुस्तिका, मालामेड एसएफ।
4. किलेज़ जबड़े के फ्रैक्चर; बैंक्स पी।
5. चेहरे के कंकाल के मध्य 3 के किलेज़ फ्रैक्चर; बैंक्स पी।
6. किलेज़ और केज़ मौखिक सर्जरी की रूपरेखा - भाग -1; सीवार्ड जीआर व अन्य।
7. चिकित्सकीय रूप से समझौता किए गए रोगियों के लिए सुरक्षित दंत चिकित्सा की अनिवार्यताएं; मैककार्थी एफएम
8. दांतों का निष्कर्षण; होवे, जीएल

17. प्रोस्थोडॉन्टिक्स, क्राउन और ब्रिज

1. पूर्ण डेन्चर का पाठ्यक्रम - चार्ल्स एम. हार्टवेल जूनियर और आर्थर ओ. राहन द्वारा।
2. बाउचर का "दंतविहीन रोगियों के लिए प्रोस्थोडॉन्टिक उपचार"
3. पूर्ण डेन्चर प्रोस्थोडॉन्टिक्स की अनिवार्यताएँ - शेल्डन विंकलर द्वारा
4. मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेटिक्स - विलियम आर. लेंसी द्वारा
5. मैकक्रैकन का रिमूवेबल आंशिक प्रोस्थोडॉन्टिक्स
6. रिमूवेबल आंशिक प्रोस्थोडॉन्टिक्स - अर्नेस्ट एल. मिलर और जोसेफ ई. ग्रान्सो द्वारा

18. पीरियोडॉंटोलॉजी

1. ग्लिकमैन क्लिनिकल पीरियोडॉंटोलॉजी-कार्राज़ा

दिग्दर्शन पुस्तक

1. पीरियोडॉंटोलॉजी और पीरियोडॉन्टिक्स की अनिवार्यताएं- टॉर्किल मैक्फी
2. समकालीन पीरियोडॉन्टिक्स-कोहेन
3. पीरियोडॉन्टिकल थेरेपी-गोल्डमैन
4. ऑर्बन पीरियोडॉन्टिक्स-ऑर्बन
5. ओरल हेल्थ सर्वे-डब्ल्यूएचओ
6. निवारक पीरियोडॉन्टिक्स-यंग और स्टिफलर
7. पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री- स्लैक
8. एडवांस्ड पीरियोडॉन्टल डिजीज़-जॉन प्रिचर्ड
9. निवारक दंत चिकित्सा-फॉरेस्ट
10. क्लिनिकल पीरियोडॉंटोलॉजी-जान लिंगे
11. पीरियोडॉन्टिक्स-बेयर और मॉरिस

19. रूढ़िवादी दंत चिकित्सा और एंडोडॉन्टिक्स

1. पुनर्स्थापनात्मक दंत चिकित्सा के लिए सौंदर्य संबंधी दिशानिर्देश: शारर और अन्य

2. पूर्ववर्ती स्थिर प्रोस्थोडोन्टिक्स का सौंदर्यशास्त्र: चिचे (जीजे) 7 पिनाॅल्ट (एलेन)
3. सौंदर्यशास्त्र और चेहरे के रूप का उपचार, खंड 28: मैक नामारा (जेए)

20. सौंदर्य दंत चिकित्सा

1. पुनर्स्थापनात्मक दंत चिकित्सा के लिए सौंदर्य संबंधी दिशानिर्देश: शारर और अन्य
2. पूर्ववर्ती स्थिर प्रोस्थोडोन्टिक्स का सौंदर्यशास्त्र: चिचे (जीजे) और पिनाॅल्ट (एलेन)
3. सौंदर्यशास्त्र और चेहरे के रूप का उपचार, खंड 28: मैक नामारा (जेए)

21. फॉरेंसिक ओडोन्टोलॉजी

1. प्रैक्टिकल फॉरेंसिक ओडोन्टोलॉजी-डेरक क्लार्क

22. ओरल इम्प्लांटोलॉजी

1. समकालीन इम्प्लांट दंत चिकित्सा - कार्ल ई. मिश मोस्बी 1993 प्रथम संस्करण।
2. ऑस्कोइंटीग्रेशन और ऑक्लूसल रिहैबिलिटेशन होबो एस., इचिडा ई. और गार्सिया एल.टी. क्विंटेसेंस पब्लिशिंग कंपनी, 1989 प्रथम संस्करण।

23. व्यवहार विज्ञान

1. सामान्य मनोविज्ञान-हंस राज, भाटिया
2. चिकित्सा पद्धति में व्यवहार विज्ञान-मंजू मेहता

24. नैतिकता

1. मेडिकल एथिक्स, फ्रांसिस सीएमएस एड. 1993, जेपी ब्रदर्स, नई दिल्ली पृ. 189.

नोट 1. दंत चिकित्सा विज्ञान में नवीनतम प्रगति के मद्देनजर पुस्तकों के शीर्षक बढ़ते रहेंगे।

2. भारतीय लेखकों की मानक पुस्तकें भी अनुशंसित हैं।

पत्रिकाओं की सूची:

1. जर्नल ऑफ डेंटिस्ट्री
2. ब्रिटिश डेंटल जर्नल

3. इंटरनेशनल डेंटल जर्नल
4. डेंटल एक्सट्रैक्ट्स
5. जर्नल ऑफ अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन
6. ब्रिटिश जर्नल ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी
7. ओरल सर्जरी, ओरल पैथोलॉजी एंड ओरल मेडिसिन
8. जर्नल ऑफ पीरियोडॉटोलॉजी
9. जर्नल ऑफ एंडोडॉन्टिक्स
10. अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑर्थोडॉन्टिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स
11. जर्नल ऑफ प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट्री
12. जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री
13. एंडोडॉन्टिक्स एंड डेंटल ट्रॉमेटोलॉजी
14. जर्नल ऑफ डेंटल एजुकेशन
15. डेंटल अपडेट
16. जर्नल ऑफ डेंटल मैटेरियल

नोट: यह न्यूनतम आवश्यकता है। शोध उन्मुख शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय और विदेशी दोनों पत्रिकाओं की सिफारिश की जाती है।

20. यह ध्यान देने योग्य है कि न्यायालय ने उक्त भर्ती के अनुसरण में गठित विशेषज्ञ समिति के विशेषज्ञों और कुछ याचिकाकर्ताओं के साथ बातचीत की है, जिन्होंने अपने विवेक के अनुसार उक्त विवादित प्रश्न-उत्तरों के पीछे प्रश्नों और तर्कों का आदान-प्रदान किया है।

21. याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 06.08.2024 की अंतिम उत्तर कुंजी में दिए गए उत्तरों के विरुद्ध निम्नलिखित प्रश्नों पर आपत्ति जताई है और कहा है कि 16 में से 16 सुधार किए गए हैं। उदाहरण के लिए, कुछ विवादित प्रश्न नीचे दिए गए हैं, हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित केवल उदाहरण के लिए हैं:-

1. प्रश्न आई.डी 3008641279- 4-6 वर्ष की आयु के बच्चों में फ्लोराइड डेंटिफ्राइस के उपयोग के लिए क्या सिफारिश है:

(क) फ्लोराइड पेस्ट के साथ दिन में दो बार और पेस्ट के बिना एक बार

(ख) फ्लोराइड पेस्ट के साथ दिन में तीन बार

(ग) फ्लोराइड पेस्ट के साथ दिन में एक बार और पेस्ट के बिना दो बार

(घ) अनुशंसित नहीं

स्पष्टीकरण:- विशेषज्ञों ने उक्त प्रश्न के मूल्यांकन के बाद विकल्प संख्या (a) को सही उत्तर के रूप में चिह्नित किया। उक्त उत्तर को प्रमाणित करने के लिए विशेषज्ञ समिति ने नोट किया कि जिन उम्मीदवारों ने उक्त प्रश्नों पर आपत्ति प्रस्तुत की है, उन्होंने कुछ पुस्तकों और अध्ययन सामग्री पर विचार किया है और उन पर भरोसा किया है जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (इसके बाद 'डीसीआई' के रूप में संदर्भित) द्वारा अनुमोदित नहीं हैं। संदर्भ डीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम है जिसमें प्रश्न का विषय बाल चिकित्सा दंत चिकित्सा है और पुस्तक जिस पर बाल चिकित्सा दंत चिकित्सा पर भरोसा किया जाना है। इसके बारे में आगे की पुष्टि दो पुस्तकों यानी शोभा टंडन थर्ड एडिशन और मैकडॉनल्ड में प्रकाशित संदर्भ से भी प्राप्त होती है और ये दोनों पुस्तकें उक्त प्रश्न का उत्तर "फ्लोराइड पेस्ट के साथ दिन में दो बार" के रूप में देती हैं।

2. प्रश्न आईडी 3008641293 - निम्नलिखित में से किस प्रकार की दरारें क्षय के लिए सबसे अधिक प्रवण हैं:

(a) I प्रकार

(b) II- प्रकार

(c) उलटा V- प्रकार

(d) V- प्रकार

स्पष्टीकरण:- विशेषज्ञों ने उक्त प्रश्न के मूल्यांकन के बाद विकल्प संख्या (c) को सही उत्तर माना। उक्त उत्तर की पुष्टि के लिए विशेषज्ञ समिति ने पाया कि जिन अभ्यर्थियों ने उक्त प्रश्नों पर आपत्ति प्रस्तुत की है, उन्होंने सुश्री मुथु द्वारा लिखित पुस्तक "पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस" (अध्याय 21) पर विचार किया है और उसी पर भरोसा किया है, हालाँकि, उक्त पुस्तक डीसीआई द्वारा अनुमोदित और अनुशंसित नहीं है। इसलिए, विशेषज्ञ समिति ने निखिल मारवाह की पुस्तक, पाँचवें संस्करण, जो नवीनतम संस्करण है, पर भरोसा किया। यह ध्यान देने योग्य है कि बीडीएस पाठ्यक्रम नियमन में नोट 2 के अंतर्गत विशेष रूप से उल्लेख किया गया है - 'भारतीय लेखकों की मानक पुस्तकें भी अनुशंसित हैं, और इसी के अनुरूप, भारतीय लेखक द्वारा लिखित उक्त पुस्तक पर भरोसा किया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा दिया गया उत्तर था कि IK-प्रकार की दरारें "क्षयग्रस्त होने की संभावना वाली होती हैं", जबकि प्रश्न में पूछा गया था कि "क्षयग्रस्त होने की सबसे अधिक संभावना होती है"। अतः, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों में अंतर है। निखिल मारवाह की पुस्तक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त प्रश्न का उत्तर है कि उलटे Y-प्रकार की दरारें क्षयग्रस्त होने की सबसे अधिक संभावना वाली होती हैं। अतः, उक्त उत्तर में कोई अस्पष्टता नहीं है।

22. इसके अतिरिक्त, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने डीसीआई द्वारा अनुमोदित पुस्तकों की एक सूची प्रस्तुत की है। सुविधा और संक्षिप्तता के लिए, विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई विश्वसनीय पुस्तकों और सही उत्तरों को नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

राजस्थान विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान	सही उत्तर उत्तर कुंजी के	सही उत्तर विशेषज्ञ के अनुसार	अंतिम सही उत्तर	कोई बदलाव नहीं /बदलाव आवश्यक	पाठ्य पुस्तक
--	--------------------------	------------------------------	-----------------	------------------------------	--------------

	अनुसार				
प्रश्न संख्या: 9 प्रश्न आईडी: 3008641215 प्रश्न प्रकार: MCQ विकल्प फेरबदल: हाँ सही अंक: 1 गलत अंक: 0	3	1,2,4	1,2,4	परिवर्तन आवश्यक	कैरान्ज़ा 13 वां संस्करण
अवरोधन से आघात के रेडियोग्राफिक संकेतों में निम्नलिखित शामिल हैं					
1. पीरियोडॉन्टल स्पेस की चौड़ाई में वृद्धि					
2. इंटरडेंटल सेप्टम का क्षैतिज के बजाय ऊर्ध्वाधर विनाश					
3. पीरियोडॉन्टल पॉकेट्स					
4. जड़ पुनर्अवशोषण					
प्रश्न संख्या : 17 प्रश्न आई.डी : 3008641223	2	कोई नहीं (बोनस सभी के लिए	कोई नहीं (बोनस सभी के लिए	परिवर्तन आवश्यक	
वेरुका वल्गेरिस किसके कारण होता है?					
1. एरिना वायरस					
2. पैरामाइक्सोवायरस					
3. रैब्डोवायरस					

4. पिकोर्नवायरस					
प्रश्न संख्या : 27 प्रश्न आईडी : 3008641233	2	कोई नहीं (बोनस सभी के लिए	कोई नहीं (बोनस सभी के लिए	परिवर्तन आवश्यक	
इंट्रा-एपिडर्मल फोड़ा देखा जाता है					
1. हैली-हैली रोग					
2. पेम्फिगस					
3. लाइकेन प्लेनस					
4. पेम्फिगॉइड					
प्रश्न संख्या : 39 प्रश्न आई.डी : 3008641245	2	2	2	कोई परिवर्तन नहीं होता है	ग्रे का तीसरा संस्करण
निम्नलिखित सभी संरचनाएँ प्टेरिगोपैलेटाइन फोसा से संबंधित हैं, सिवाय इसके।					
1. टेरीगोपैलेटिन नाडीग्रन्थि					
2. मैक्सिलरी धमनी का मध्य तिहाई भाग					
3. मैक्सिलरी तंत्रिका					
4. ग्रेटर पेट्रोसल तंत्रिका					
प्रश्न संख्या : 40 प्रश्न आईडी : 3008641246	1	1	1	कोई परिवर्तन नहीं होता	डेविडसन 24 वां संस्करण
एक 75 वर्षीय मरीज़ छाती					

पकड़कर गिर पड़ा। एक चिकित्सक मौके पर पहुँचता है। चिकित्सक को सबसे पहले क्या करना चाहिए:					
1. मदद के लिए कॉल करें				है	
2. नाड़ी की जाँच करें					
3. छाती का संपीड़न					
4. साफ़ पेटेंट वायुमार्ग					
प्रश्न संख्या : 49 प्रश्न आई.डी : 3008641255	2	2,4	2,4	परिवर्तन आवश्यक	डेविडसन
इनमें से कौन सा सामान्यीकृत दौरे का प्रकार नहीं है:					
1. टॉनिक क्लोनिक					
2. मायोजेनिक					
3. अनुपस्थिति					
4. एटोनिया					
प्रश्न संख्या : 53 प्रश्न आईडी : 3008641259	3	3	3	कोई परिवर्तन नहीं होता है	डेडसन 24 वां संस्करण
तीव्र एमआई के उपचार में थ्रोम्बोलाइटिक्स दिया जा सकता है, यदि रोगी निम्न श्रेणी में आता					

है:					
1. 3 घंटे					
2. 6 घंटे					
3. 12 घंटे					
4. 24 घंटे					
प्रश्न संख्या : 72 प्रश्न आई.डी : 3008641278	3	3	3	कोई परिवर्तन नहीं होता है	कैरान्ज़ा, 13 वां संस्करण 14 वां संस्करण
पेरिओकोल-सीजी आयाम					
1. (4 x 5 x 0.25-0.34 मि.मी.)					
2. (4 x 5 x 0.25-0.31 मि.मी.)					
3. (4 x 5 x 0.25-0.32 मि.मी.)					
4. (4 x 5 x 0.25-0.30 मि.मी.)					
प्रश्न संख्या : 73 प्रश्न आईडी : 3008641279	2	3	3	परिवर्तन आवश्यक	शोभा टंडन, मैक डोनाल्ड
4-6 वर्ष की आयु के बच्चों में फ्लोराइड डेंटिफ्राइस के उपयोग के लिए क्या सिफारिश की गई है?					
1. अनुशंसित नहीं					
2. दिन में एक बार फ्लोराइड					

पेस्ट के साथ और दो बार बिना पेस्ट के					
3. दिन में दो बार फ्लोराइड पेस्ट के साथ और एक बार बिना पेस्ट के					
4. फ्लोराइड पेस्ट के साथ दिन में तीन बार					
प्रश्न संख्या : 87 प्रश्न आईडी : 3008641293	2	2	2	कोई परिवर्तन नहीं होता है	निखिल मारवा
निम्नलिखित में से किस प्रकार की दरारें क्षरण के लिए सबसे अधिक प्रवण हैं					
1. वी प्रकार					
2. उलटा Y-प्रकार					
3. आई.के-प्रकार					
4. आई प्रकार					
प्रश्न संख्या : 88 प्रश्न आई.डी : 3008641294	1	1,3	1,3	परिवर्तन आवश्यक	शेफर का संस्करण
क्रैनियोसिनोस्टोसिस, क्रैनियोफेशियल विसंगतियाँ, हाथ					

और पैरों की सिंडैक्टली, प्रीएक्सियल पॉलीसिंडैक्टली, नरम ऊतकों की सिंडैक्टली देखी जाती है:					
1. कारपेंटर सिंड्रोम					
2. क्राउज़ोन सिंड्रोम					
3. एपर्ट सिंड्रोम					
4. डाउन सिंड्रोम					
प्रश्न संख्या : 93 प्रश्न आई.डी : 3008641299	3	कोई नहीं (सभी के लिए बोनस)	कोई नहीं (सभी के लिए बोनस)	परिवर्तन आवश्यक	
गोलाकार प्रक्रिया, पार्श्व नाक प्रक्रिया और मैक्सिलरी प्रक्रिया के जंक्शन पर हड्डी के भीतर पाया जाने वाला सिस्ट:					
1. नासोएल्वियोलर सिस्ट					
2. नासोपालाटाइन सिस्ट					
3. ग्लोबुलोमैक्सिलरी सिस्ट					
4. मीडियन पैलेटाइन सिस्ट					
प्रश्न संख्या : 95 प्रश्न आई.डी : 3008641301	1	कोई नहीं (सभी के लिए)	कोई नहीं (सभी के लिए)	परिवर्तन आवश्यक	
सचेत बेहोशी में नाइट्रस ऑक्साइड					

और ऑक्सीजन के अनुपात में दिया जाता है					
1. 80:20					
2. 20:80		बोनस)	बोनस)		
3. 60:40					
4. 40:60					
प्रश्न संख्या : 99 प्रश्न आई.डी : 3008641305	2	2	2	कोई परिवर्तन नहीं होता है	बाउचर
मेंडिबुलर पूर्ण डेन्चर के लिए प्राथमिक डेन्चर समर्थन क्षेत्र है					
1. वेस्टिबुल					
2. मुख शैल्फ					
3. पैलेटोफेरीन्जियल फोल्ड					
4. अवशिष्ट कटक का मुख और भाषायी ढलान					
प्रश्न संख्या: 100 प्रश्न आईडी: 3008641306	1	2	2	बदलाव आवश्यक	बाउचर 13 वां संस्करण.
तीक्ष्ण जबड़े की लकीर के लिए किस छाप तकनीक का उपयोग किया जाता है?					

1. न्यूनतम दबाव प्रभाव तकनीक					
2. चयनात्मक दबाव तकनीक					
3. तटस्थ क्षेत्र प्रभाव तकनीक					
4. कार्यात्मक छाप तकनीक					

23. दिनांक 06.08.2024 की अंतिम उत्तर कुंजी में बदलाव की गुंजाइश को स्वीकार करने के लिए भी, ऊपर उल्लिखित प्रश्नों का विश्लेषण करने के बाद, यह न्यायालय एक वस्तुनिष्ठ निर्णय पर पहुंचने के लिए विभिन्न रिपोर्टों और अध्ययन सामग्री के तुलनात्मक विश्लेषण और तुलना सहित तर्क की एक अनुमानात्मक प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालने में मदद नहीं कर सकता है। यह कहने के बाद, यह ध्यान दिया जाता है कि प्रतिवादी-आरयूएचएस ने मॉडल उत्तर कुंजी के खिलाफ आपत्तियां प्राप्त करने के अनुसरण में, अपने विवेक का प्रयोग किया है, विशेषज्ञों से परामर्श किया है और उसके बाद आवश्यक बदलावों को प्रभावी बनाया है, जैसा कि ऊपर उल्लेखित प्रश्नों से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इसलिए, कोई दुर्लभ और असाधारण मामला नहीं उठता है, जिसके तहत यह न्यायालय तर्क की एक अनुमानात्मक प्रक्रिया या बल्कि, युक्तिकरण की प्रक्रिया को अपनाए बिना, दिनांक 06.08.2024 की अंतिम उत्तर कुंजी की जांच की अनुमति देता है।

24. इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्टों के आधार पर और विशेषज्ञ समिति द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद, प्रतिवादी-आरयूएचएस ने अंततः विशेषज्ञों की रिपोर्ट को अपनाया और कुल 4 प्रश्नों को हटा दिया (जिससे, निम्नलिखित प्रश्न आईडी क्रमांक - 3008641299; 3008641301; 3008641223; 3008641233 के गलत फ्रेमिंग के कारण सभी उम्मीदवारों को बोनस अंक दिए गए) और 5 प्रश्नों के उत्तर बदल दिए। जबकि, शेष प्रश्नों के लिए, जिनके विरुद्ध आपत्तियां प्राप्त हुई थीं, मॉडल उत्तर कुंजी में दिए गए मूल उत्तरों को बनाए रखा गया। तदनुसार, यह ध्यान देने योग्य है कि न्यायिक समीक्षा करते समय, यह न्यायालय केवल विचाराधीन प्रक्रिया की जाँच करता है - चाहे वह प्रशासनिक हो या वैधानिक, लेकिन उसका परिणाम अनिवार्य रूप से सार्वजनिक हो, यह देखने के लिए कि क्या यह निष्पक्ष और नियमित तरीके से, अवैधता से मुक्त और द्वेष या दुर्भावना से प्रेरित होकर किया गया है। प्रक्रिया और विवादित निष्कर्ष, अपने निष्कर्ष में इतने स्पष्ट रूप से अनुचित नहीं होने चाहिए कि समान परिस्थिति में रखा गया कोई भी विवेकशील व्यक्ति ऐसे निष्कर्ष पर न पहुँचे।

25. हालाँकि, इस मामले के पूर्वगामी तथ्यों और परिस्थितियों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मॉडल उत्तर कुंजी के खिलाफ याचिकाकर्ताओं/अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को प्रतिवादी-आरयूएचएस द्वारा विधिवत रूप से ध्यान में रखा गया था और उसके बाद, उन आपत्तियों की जांच करने में, विशेषज्ञ समिति ने आपत्तियों की योग्यता और शुद्धता का विधिवत विश्लेषण किया और उसके बाद, जहाँ भी आवश्यक हो, दिनांक 06.08.2024 की अंतिम उत्तर कुंजी में आवश्यक परिवर्तन किए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इसलिए, उक्त अभ्यास को करने में कोई प्रक्रियात्मक चूक नहीं हुई। ऐसी स्थिति में, विशेषज्ञों की राय की शुद्धता और/या वैधता को लेकर कोई चुनौती नहीं उठाई जा सकती, जिसके आधार पर दिनांक 06.08.2024

की अंतिम उत्तर कुंजी में संशोधन किया गया था। परिणामस्वरूप, यह न्यायालय तत्काल मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है।

26. इसलिए, जब तक उक्त परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों के साथ मौजूदा मूल्यांकन प्रणाली के तहत बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाता है, तब तक उक्त परीक्षा के संबंध में कोई शिकायत नहीं रह जाती। यह सर्वमान्य कानून है कि शैक्षणिक मामलों में, विशेषज्ञों का निर्णय ही अंतिम होता है। न्यायालय के पास ऐसे निर्णयों की सत्यता की जाँच करने के लिए न तो अपेक्षित विशेषज्ञता है और न ही आवश्यक ढाँचा। परिणामस्वरूप, न्यायालय विशेषज्ञों के निष्कर्षों पर निर्णय नहीं दे सकता, अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री की जाँच नहीं कर सकता और अपील न्यायालय के रूप में अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता। ऐसी परिस्थितियों में समितियों की नियुक्ति करना भी संभव नहीं है, खासकर जब विशेषज्ञों ने उम्मीदवारों/याचिकाकर्ताओं से प्राप्त आपत्तियों का विधिवत विश्लेषण किया हो और उसके बाद 06.08.2024 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की हो। सार्वजनिक पदों पर रोजगार के लिए एक अंतहीन मुकदमेबाजी, जिसके संबंध में इतने सारे युवा व्यक्तियों का करियर प्रक्षेपवक्र सुसंगत रूप से जुड़ा हुआ है, को इतने लंबे समय तक स्थगित रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, कि अंतिम परिणाम वादियों द्वारा सामना किए गए दबाव और कठिनाई को कम कर दे और उन पर हावी हो जाए। इसके अलावा, सिंधु बी.एस. बनाम भारत संघ और अन्य में समर्थित हितकर नियम के अनुसार भी, WP (C) संख्या 21640/2023 के रूप में पंजीकृत, 'उत्तर कुंजी' की शुद्धता की जांच के लिए न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार को लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह पूरी तरह से एक शैक्षणिक मामला है।

“3. उत्तर कुंजी की सत्यता या अन्यथा के बारे में प्रश्न विशुद्ध रूप से शैक्षणिक मामला है जो ऐसा पहलू नहीं है जिसकी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के

तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में समीक्षा की जा सके। इस न्यायालय ने पहले भी याचिकाकर्ता और अन्य द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया था, और इस न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में इस प्रश्न पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई थी। इसके बाद एक्सटेंशन पी1 रिपोर्ट तैयार की गई है। यह न्यायालय विशेषज्ञ निकाय के निर्णय के विरुद्ध अपील में नहीं बैठा है (हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर एवं अन्य (2010) 6 एससीसी 759 और राम विजय सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2018) 2 एससीसी 857 में दिए गए निर्णय देखें)। यह भी स्थापित कानून है कि न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय का सरोकार निर्णय लेने की प्रक्रिया से होता है, न कि निर्णय से, तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया या प्रशासनिक प्राधिकारी के निर्णय से मात्र असहमति होना संवैधानिक न्यायालय के लिए हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। (देखें एफकोंन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड [(2016) 16 एस.सी.सी 818], द्वारकादास मारफतिया एंड संस बनाम पोर्ट ऑफ इंडिया [(1989) 3 एस.सी.सी 293], टाटा सेलुलर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया [(1994) 6 एस.सी.सी 651] और जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य [(2007) 14 एस.सी.सी 517]।”

(जोर दिया गया)

27. परिणामस्वरूप, उत्तर कुंजी को तब तक सही माना जाना चाहिए जब तक कि यह गलत साबित न हो जाए, यद्यपि इसे तर्क की एक अनुमानात्मक प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया द्वारा गलत नहीं माना जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से गलत साबित होना चाहिए, अर्थात्, यह ऐसा होना चाहिए कि किसी विशेष विषय में पारंगत पुरुषों का कोई भी उचित समूह इसे सही न माने। हालाँकि, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसा नहीं था, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। यदि यह संदेह का मामला है, तो निस्संदेह उत्तर-कुंजी को प्राथमिकता दी जानी

चाहिए और केवल अगर यह संदेह के दायरे से परे है, तो न्यायिक समीक्षा की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए। इस संबंध में, इस न्यायालय के उस कथन पर भरोसा किया जा सकता है, जैसा कि पहले सुरजन लाल धवन (सुप्रा) में प्रतिपादित किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राहुल सिंह (सुप्रा), अरुण कुमार (सुप्रा) और मुकेश ठाकुर (सुप्रा) और ताजवीर सिंह सोढी (सुप्रा) जैसे निर्णयों की श्रृंखला में भी दोहराया गया है और साथ ही, माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एम. एम. श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली इस न्यायालय की खंडपीठ ने कविता भार्गव (सुप्रा) में भी इसे दोहराया है।

निष्कर्ष

28. उपर्युक्त के सारांश में, यह ध्यान देने योग्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऊपर उद्धृत निर्णयों की एक श्रृंखला में स्पष्ट रूप से यह राय व्यक्त की है कि न्यायालयों के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सीमित अधिकार क्षेत्र है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार विशेष रूप से जब मामले शैक्षणिक मामलों से संबंधित होते हैं, जिसमें विशेषज्ञों का शब्द अंतिम शब्द होता है; कि न्यायालय के पास ऐसे निर्णयों की सत्यता की जांच करने के लिए न तो अपेक्षित विशेषज्ञता है और न ही बुनियादी ढांचा है; कि प्रतिवादी-आरयूएचएस ने परीक्षा आयोजित करने, आपत्तियां मांगने और उसके लिए उचित औचित्य प्रस्तुत करने की उचित प्रक्रिया का विधिवत पालन किया है; कि प्रतिवादियों ने एम.ओ.डी.डी.आर.ई, 2024 के लिए सूचना पुस्तिका, 2024 में स्पष्ट रूप से उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम का उल्लेख किया है, जिसमें वेबिनार, सम्मेलन, सेमिनार, लेख और प्रख्यात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखकों की पुस्तकों और लेखों के नवीनतम प्रकाशन/संस्करणों सहित उम्मीदवारों द्वारा उनके बीडीएस स्नातक कार्यक्रम के दौरान अध्ययन किए गए सभी

विषय शामिल हैं; कि प्रतिवादी- आर यू एच एस ने प्रत्येक विवादित प्रश्न के लिए उचित औचित्य प्रस्तुत किया है; कि विशेषज्ञों के अनुभव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, इसलिए, इस न्यायालय का मानना है कि तत्काल विवाद में कोई न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

29. तदनुसार, याचिकाओं का वर्तमान समूह किसी भी प्रकार से गुण-दोष से रहित होने के कारण खारिज किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाएगा।

(समीर जैन),जे

पूजा /

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate